प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 05.01.2025

- **थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 650 अनार की पेटी व घटना में प्रयुक्त ट्रक को किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 02.01.2025 को वादी श्री अनिल कुमार पुत्र तेजराम निवासी ग्राम लखनपुर पोस्ट जैतीपुर जनपद उन्नाव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 002/2025 धारा 303(2)/316(2)/324(4) बीएनएस0 बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 05.01.2025 को समय करीब 00.40 बजे प्रधान ढावा कानपुर-इटावा हाईवे के पास से अभियुक्तगण 1. शब्बू अली खां पुत्र आजम अली उम्र 35 वर्ष निवासी काजी टोला ग्राम व थाना सहावर जनपद कासगंज, 2. सागर राजपूत पुत्र किरोड़ीलाल उम्र 22 वर्ष निवासी झण्डा मोहल्ला नगला लोधी थाना सहावर जनपद कासगंज को मय चोरी के सामान 650 अनार की पेटी व घटना में प्रयुक्त गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम लोग ट्रक संख्या UP24T3866 में अनार की पेटियां जैसलमेर से सिलीगुड़ी ले जा रहे थे, हम लोगों को लगा कि यदि हम लोग माल को रास्ते मे बेच दें तो 10-12 लाख रुपये कमा सकते हैं जिससे अपना आराम से खर्चा चलता रहेगा। हमने मौके पर मालवाहन संख्या UP24T3866 से वाहन संख्या UP87T4124 में अनार की पेटियों को पलटी कर लिया और कुछ माल उसी गाड़ी में छोड़ दिया। उसके बाद वाहन संख्या UP87T4124 को रोड के किनारे गड्डे मे पलट दिया था तथा माल-लदी गाड़ी को उस स्थान से हटाकर एकांत मे खड़ा कर दिया था जिसे आप लोगो ने बेचने से पहले ही पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. शब्बू अली खां पुत्र आजम अली निवासी काजी टोला ग्राम सहावर थाना सहावर जनपद कासगंज।

2. सागर राजपूत पुत्र किरोड़ीलाल निवासी झंडा मोहल्ला नगला लोधी थाना सहावर जनपद कासगंज।

बरामदगी का विवरण-

1. 650 पेटी अनार कीमत लगभग 10-12 लाख रुपये।
2. घटना में संलिप्त ट्रक संख्या UP 87 T 4124

अभियुक्त शब्बू अली खां का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 643/2021 धारा 135 भारतीय विद्धुत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट जनपद कासंगज।
2. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 303(2)/116(2)/324(4)/317(2) बीएनएस0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त सागर राजपूत का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 002/2025 धारा-303(2)/116(2)/324(4)/317(2) बीएनएस0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बृजकिशोर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. हे0का0 186 उदयवीर सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. का0 32 भूपेन्द्र थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।